आयकर अपीलीय अधिकरण, इंदौर न्यायपीठ, इंदौर

श्री मनीष बोरड, लेखा सदस्य तथा
सुश्री मधुमिता रॉय, न्यायिक सदस्य के समक्ष

आ.अ.सं. 252/ इंदौर /2019
निर्धारण वर्ष : 2015-16

श्री संजय शर्मा (अ.हि.कु.), उज्जैन	बनाम	आयकर अधिकारी, 2 (1), उज्जैन
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएआरएचएस 6464 डी		

आ. अ. सं. 929/ इंदौर /2018
निर्धारण वर्ष : 2014-15

श्री सौरभ अग्रवाल, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी, 1 (2), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एजेवीपीए 1578 एम		

आ. अ. सं. 10 तथा 11/ इंदौर /2020
निर्धारण वर्ष : 2013-14 तथा 2014-15

हिंदुस्तान इक्विपमेंट प्रा.लि., इंदौर	बनाम	सहायक आयकर आयुक्त, 2 (1), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएबीसीएच 0707 पी		

<u>आ. अ. सं. 901/ इंदौर /2018</u>
<u>निर्धारण वर्ष : 2014-15</u>

मे. प्रशांत पावेचा (अ.हि.कु.), इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी 1(3), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एएआईएचएस 9680 एल		

<u>आ. अ. सं. 27/ इंदौर /2019</u>
<u>निर्धारण वर्ष : 2014-15</u>

श्रीमती भावना पावेचा, इंदौर	बनाम	आयकर अधिकारी 1(3), इंदौर
अपीलार्थी		प्रत्यर्थी
स्था.ले.सं.-एजेओपीपी 9748 एफ		

अपीलार्थियों की ओर से	श्री गगन तिवारी, एडवोकेट तथा लिखित प्रतिवेदन
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री हर्षित बारी, वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि
सुनवाई तिथि	05.04.2021
उद्घोषणा तिथि	05.04.2021

<u>**आदेश**</u>

<u>न्यायपीठ द्‌वारा</u>

ऊपर दर्शित निर्धारण वर्षों से संबंधित अलग-अलग निर्धारितियों की उपरोक्त शीर्षकों की अपीलें आयकर आयुक्त (अपील) (संक्षिप्त में आ.आ.(अ)) के अलग-अलग आदेशों के विरूद्ध दाखिल की गई हैं ।

2. सुनवाई के प्रारंभ में ही, निर्धारितियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से यह निवेदन किया गया है कि निर्धारितियों ने “विवाद से विश्वास योजना” में आवेदन किया है तथा योजना के अनुसार, वर्तमान अपीलों को वापिस लेना अपेक्षित है । अतः निर्धारिती वर्तमान अपीलों का अनुसरण करने के इच्छुक नही हैं । दूसरी ओर, विद्वान वरिष्ठ विभागीय प्रतिनिधि ने कोई आपत्ति नहीं की है यदि इन अपीलों को कथित योजना के अंतर्गत दबाव नहीं डाले जाने के कारण खारिज किया जाता है ।

3. उपरोक्त की दृष्टि में, हम निर्धारितियों द्वारा दाखिल इन अपीलों को वापिस लिए जाने के कारण खारिज करते हैं । यद्यपि, निर्धारिती विधि के अनुसार विनिहित अवधि के अंदर आदेश को वापिस बुलाने (recall) हेतु विविध आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होंगे यदि संबंधित निर्धारिती का इस योजना के उपभोग करने हेतु आवेदन राजस्व द्वारा किसी कारण से स्वीकार नहीं किया जाता है या संबंधित निर्धारिती किसी कारण से इस योजना में भाग नहीं ले पाता है ।

4. परिणामतः, निर्धारितियों की अपीलें वापिस लिए जाने के कारण खारिज की जाती हैं।

यह आदेश 05.04.2021 को खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया है।

हस्ता/-	हस्ता/-
(मधुमिता रॉय)	(मनीष बोरड)
न्यायिक सदस्य	लेखा सदस्य

दिनांक : 05.04.2021

प्रतिलिपि : अपीलार्थी, प्रत्यर्थी, आयकर आयुक्त (अपील), आयकर आयुक्त, विभागीय प्रतिनिधि, गार्ड फ़ाइल